नम्बर व
अहकाम
हुक्म की त
में जारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
(बईजलास श्री दिवांशु शर्मा आर. ए. एस.)

प्रकरण संख्या – 56/2020 प्रार्थनापत्र एलआर
दायर दिनांक – 12/3/2020
निर्णय दिनांक – 01/10/2020

अनवान

श्री सुभाषचन्द्र पिता प्रभाषचन्द्र देराश्री निवासी बनेडा तह. बनेडा जिला भीलवाडा ....प्रार्थी

बनाम

1. श्री लादु पिता नन्दा कुमावत निवासी कहारो का खेडा, मूशी तह. बनेडा जिला भीलवाडा
2. श्री मोहन पिता नन्दा कुमावत निवासी कहारो का खेडा,मूशी तह. बनेडा जिला भीलवाडा
3. श्री मदन पिता नन्दा कुमावत निवासी कहारो का खेडा, मूशी तह. बनेडा जिला भीलवाड
4. श्री गोपाल पिता नन्दा कुमावत निवासी कहारो का खेडा , मूशी तह. बनेडा जिल भीलवाडा ।
5. श्री देबी पिता मांगु माली निवासी कहारो का खेडा, मूशी तह. बनेडा जिला भीलवाडा
6. श्रीमती गनुडी पुत्री बालु माली निवासी कहारो का खेडा,मूशी तह. बनेडा जिला भीलवा
7. राजस्थान राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब बनेडा जिला भीलवाडा ।

.... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::– श्री मुरारी जोशी वकील प्रार्थी

–:आदेश:–

दिनांक 01.10.20

1. प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राज अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम पटवार मूशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की र संख्या 288 का आराजी संख्या 2900/822 कुल किता 1 रकबा 8–00 बीघा भूमि रिकॉर्ड है जिसके कोई पुख्ता सीमाचिह्न नहीं होने की वजह से पड़ौसियान से अ विवाद होता रहता है। प्रार्थी ने पड़ौसान से अपनी आराजियात बाबत् पत्थरगढ़ी करा लिए कहा किन्तु उनके द्वारा इन्कार कर दिए जाने से यह प्रार्थनापत्र आप न्यायाल प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी का आदेश किया जावे ।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये समन तलब किया ग विपक्षीगण बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं । इसलिए इनके विरूद्ध एक कार्यवाही के आदेश पारित किए गए । विपक्षी संख्या 03 के खिलाफ प्रार्थी अधिवक्ता कार्यवाही नही चाहते का आर्डरसीट पर अंकन किया ।

3. मामले मे प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर दस्तावेजात का अध्ययन एवं मनन किया गया। प्रार्थी उक्त आदेश की चरण सं. 1 मे आराजियात का खातेदार काश्तकार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी क अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य है।

–:: आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम मूशी पटवा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की खाता संख्या 28 आराजी संख्या 2900/822 कुल किता 1 रकबा 8–00 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी बसा समस्त पड़ौसान के किये जाने का आदेश पारित किया जाता है । उक्त आदेश की पाल तहसीलदार बनेडा को 800/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये है कि पक्षकारान को पूर्व मे सूचित कर उनकी उपस्थिति मे पत्थरगढी की जावे । की फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बने भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर न कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा